है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक डिस्पैच के लिए पॉलिसी लेने में असुविधा होगी अतः ऐसे मामलों में खुली पॉलिसी एक सुविधाजनक दस्तावेज है ।

आवरण : देश में रेल / सड़क / वायु मार्ग पंजीकृत डाक से सामान डिस्पैच के लिए आवरण ।

अवधि : एक वर्ष

बीमित राशि : बीमित राशि के पूर्ण प्रीमियम का भुगतान अग्रिम किया जाएगा जिसका निर्धारण 12 महिनों में भेजे जाने वाले अनुमानित डिस्पैचों पर आधारित होगा । जब बीमित राशि समाप्त हो जाएगी तो उसको अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान करके बढ़ाया जा सकेगा ।

मूल्यांकन का आधार : सामान की बीजक लागत, कर, किराया और बीमा प्रीमियम 10% आकस्मिक शुल्कों के साथ ।

पॉलिसी अवधि के अंत में बीमित राशि के अघोषित शेष के लिए पहले से चुकाये प्रीमियम राशि को कंपनी के नियमों के अधीन वापस कर दिया जाएगा ।

खुला आवरण

खुला आवरण आयातों और निर्यातों के लिए जारी किया जाता है जब कि बीमाकर्ता पूर्व निर्धारित दरों नियमों और शर्तों के अनुसार प्रत्येक डिस्पैच / रसीदों के लिए अलग पॉलिसी जारी करने को तैयार हो जाता है । खुला आवरण एक लागू योग्य कागजात न होकर, खुली पॉलिसी से अलग बीमा करने का एक समझौता है जब कि खुली पॉलिसी एक लागू योग्य कागजात है ।

वार्षिक टर्नओवर पॉलिसी

यह किसी भी अन्य व्यापक पॉलिसी से भिन्न नहीं है, तथापि इसके प्रीमियम की दर केवल बिक्री टर्नओवर पर लगायी जाती है ।

अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के
न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. के कार्यालय से संपर्क करें ।

कानूनी व्याख्या के लिए अंग्रेजी अवतरण मान्य होगा ।

''बीमा आग्रह की विषय वस्तु है''

individual policies for every dispatch. For such cases Marine Open Policy is very convenient document.

COVERAGE : Covers for insurance of goods dispatched within the country by Rail/Road/ Air Freight Registered Post.

PERIOD : ONE YEAR

SUM INSURED : Full premium of the sum insured will be paid in advance and the same will be determined based upon the estimated dispatches for 12 months. When the sum insured is exhausted, same can be enhanced by paying additional premium.

BASIS OF VALUATION : Invoice cost of goods, tax, freight & Insurance Premium plus 10% incidental charges.

At the end of the policy period, premium for undeclared balance of the sum insured already paid by the insured will be refunded subject to the rules framed by the company.

OPEN COVER

Open Cover is issued for imports or exports whereby the insurer agrees to issue individual policies for individual dispatches/receipts as per predetermined rates terms and conditions. The Open Cover is not an enforceable document but only an agreement to insure as distinct from an open policy, which is an enforceable document.

ANNUAL TURNOVER POLICY

This is no different from any open policy except that rate of premium is charged only on the sales turnover.

For further details contact your
nearst NIA Office.

For legal interpretation English version
will hold good.

"Insurance is the subject matter of Solicitation"

दि न्यू इंडिया एश्योरंस कं. लि. सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अनुभवी गैर जीवन बीमा कंपनी है, जिसके 1100 प्रचालन कार्यालय हैं और भारत की समस्त कंपनियों की अग्रणी इस कंपनी ने विविध उत्पादों की लंबी सूची के साथ ही भारत की पहली एयर लाइन से लेकर उपग्रह तक का बीमा किया है और इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में स्थित है ।

The New India Assurance Co. Ltd. is the largest and the oldest non-life insurance company with more than 1100 operating offices and is a pioneer among Indian Companies, insuring the first domestic air-line to satellite with an array of products and having its Head Office at Mumbai.

हम मोटर, अग्नि,
समुद्रपारीय मेडीक्लेम, जनता व्यक्तिगत दुर्घटना
और अन्य बहुत से क्षेत्रों का भी बीमा करते हैं ।

We also insure risks relating to
MOTOR, FIRE,
OVERSEAS MEDICLAIM, JANATA PERSONAL ACCIDENT and a lot more.

अग्रणी कंपनी का आश्वासन
ASSURANCE OF THE LEADER

दि न्यू इन्डिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन / Wholly owned by the Govt. of India)
भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी
India's Premier Non-Life Insurance Company

एजेंसी विभाग
मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय - I
न्यू इन्डिया भवन, 34/38, बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 023.
Agency Cell
Mumbai Regional Office - I
New India Bhavan, 34/38, Bank Street, Fort, Mumbai - 400 023.
(आई.आर.डी.ए. पंजीकरण संख्या / IRDA Registration No. : 190)
CIN No. : U99999 MH1919 GOI 000526
Website : www.newindia.co.in

Vaikunth Prints
vaikunth_p2009@yahoo.in

मरीन कार्गो के लिए संपूर्ण
सुरक्षा
Overall
SURAKSHA
for Marine Cargo

हम मरीन कार्गो की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं

We ensure that Marine Cargo is Secured

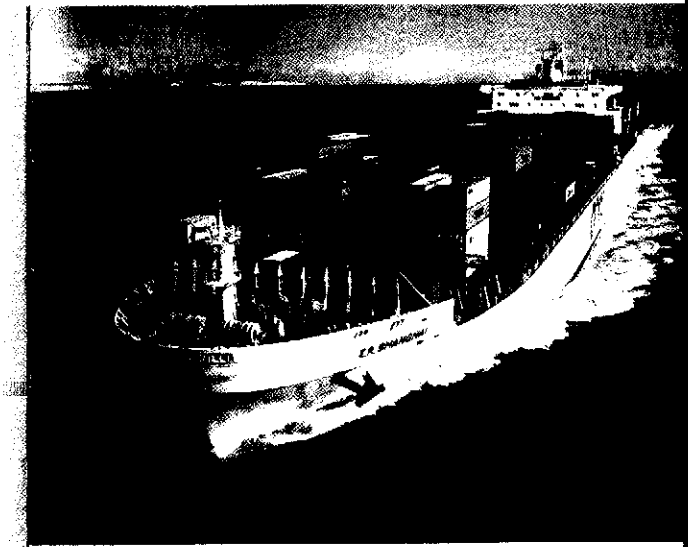

दि न्यू इन्डिया एश्योरंस कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)
भारत की अग्रणी गैर-जीवन बीमा कंपनी
THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LTD.
(Wholly owned by the Govt. of India)
India's Premier Non-Life Insurance Company

मरीन कार्गो बीमा

मरीन कार्गो बीमा, "नौभार" को रेल, सड़क, समुद्र और वायु से पारवाहन करते समय हुई हानि या क्षति को आवरित करता है ।

आवरण का प्रसार : बीमाधारक द्वारा लिये गए आवरण के अनुसार यह साधारण रेल, सड़क जोखिम से ले कर सर्वजोखिम को आवरित करता है ।

भारत में परिवहन के लिए आवरण :

यहाँ पर **तीन** प्रकार के आवरण उपलब्ध हैं :

अंतर्देशीय परिवहन (रेल अथवा सड़क) क्लॉज ए, बी और सी

क्लॉज ए (सर्व जोखिम) - सभी प्रकार की टूट फूट व हानि को आवरित करता है ।

क्लॉज बी (परिवहन जोखिम) - अग्नि, तड़ित, पुल टूटने और दुर्घटना/वाहक वाहन के गिरने के कारण कार्गो को हुए ढांचागत क्षति व हानि के लिए आवरण देता है ।

क्लॉज सी (आधारभूत जोखिम) - केवल अग्नि व तड़ित के कारण कार्गो को पहुँचे ढांचागत नुकसान या हानि को आवरित करता है ।

अवधि - क्लॉज 'ए' व 'बी' के अंतर्गत आवरण जब सामान वेयर हाऊस छोड़ता है वहाँ से अंतिम वेयर हाऊस पहुंचने तक किंतु रेलवे वैगन या लॉरी के लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के 7 दिनों से अधिक नहीं ।

महत्वपूर्ण अपवर्जन :

- अधूरी व अपर्याप्त पैकिंग या तैयारी
- बीमाधारक द्वेषपूर्ण और जानबूझ कर किया गया दुर्व्यवहार
- साधारण टूट-फूट / साधारणतः भार में कमी
- देरी के कारण क्षति या हानि
- कार्गो की प्रकृति या अंतर्निहित गुणों के कारण हानि या क्षति
- युद्ध, हड़ताल, दंगे का जोखिम और
- द्वेषपूर्ण कार्रवाई (यह केवल क्लॉज 'बी' व 'सी' में अपवर्जित है)
- अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर हम दंगो व हड़ताल को आवरित करते हैं ।

MARINE CARGO INSURANCE

Marine Cargo Insurance covers Loss or Damage to Cargo while being transported By Rail, Road, Sea and Air.

SCOPE OF COVER : Cover varies from simple road / rail risks to All risks depending upon the cover taken.

COVER FOR TRANSPORT WITHIN INDIA :

There are **THREE** types of covers available :

INLAND TRANSIT (RAIL OR ROAD) CLAUSE A, B AND C

CLAUSE A (All Risk) - Provides for All risks of physical loss or damage.

CLAUSE B (Transit Risk) - Provides Basic cover of physical loss or damage of cargo caused by Fire, Lightning, breakage of bridges and accident/derailment to carrying vehicle.

CLAUSE C (Basic Risk) - covers physical loss or damage to the cargo by fire and lightning only.

DURATION : The duration of cover under Clause A and B is from the time the goods leave the warehouse till the time they reach final warehouse but not exceeding 7 days after arrival of the railway wagon or lorry at the destination town.

IMPORTANT EXCLUSIONS :

- Insufficient or unsuitability of packing or preparation.
- Loss or damage to willful misconduct of the insured.
- Wear and tear ordinary/customary loss in weight.
- Loss or damage caused by delay
- Loss or damage caused by inherent property or nature of cargo
- War risks, Riot and Strike and
- Malicious Act (This is excluded only under Clause B & C)
- By paying Extra Premium we can cover the Riot & Strike.

प्रीमियम दरें : प्रीमियम, प्रीमियम दावा अनुभव, आवश्यक आवरण, दूरी, परिवहन का तरीका, पैकिंग के तरीके, कार्गो की प्रकृति जैसे तथ्यों पर निर्भर करता है । बीमालेखन सीमाओं के अनुसार दर, शाखा/मंडल/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निर्धारित की जाएगी । ग्राहक के सामान की लाभप्रदता भी दर निर्धारण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है ।

आयात/निर्यात के लिए आवरण : आयात/निर्यात आवरण अंतर्राष्ट्रीय क्लॉजों पर निर्भर करता है जिन्हें "इस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज" के नाम से जाना जाता है जिसके अंतर्गत आई सी सी (आई सी सी) (ए) वृहत है जब कि आई सी सी (बी) और (सी) सीमित है ।

क) इस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज (सी)

आवरित जोखिम : सामान को अग्नि, विस्फोटन, डूबने, दिग्भ्रमित अथवा वैसल के ग्राऊंड होने, पलटने अथवा वाहन के पटरी से उतरने, वाहन के टकराने से पहुंचनेवाली क्षति या हानि । आपात स्थिति में सामान को आपात बंदरगाह पर उतारने से हानि, स्वयं जहाज से सामान बाहर फेंकना सामान्य औसत हानि ।

ख) इस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज (बी)

आवरित जोखिम : उपर्युक्त क्लॉज 'सी' के मामले के साथ साथ, भूकंप, ज्वालामुखी फूटने अथवा तड़ित, जहाज के ऊपर से कार्गो बह जाना, समुद्र अथवा नदी के पानी से हुई हानि, किसी भी पैकेज की संपूर्ण हानि, जहाज पर रखे जाना या जहाज पर चढ़ाने अथवा उतारने के दौरान गिर जाना ।

ग) इस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज (ए)

यह सबसे बड़ा फार्मेट आवरण है । यह क्लॉज ऊपर 'बी' में आवरित जोखिम के साथ बारिश के पानी से हानि, लूटमार, जानबूझ कर किया गया नुकसान अथवा किसी व्यक्ति की द्वेषपूर्ण कार्रवाई से क्षति, चोरी, उठाईगिरी, गैर-सुपुर्दगी, मिट्टी के तेल और एसिड से संपर्क, अन्य कार्गो से हानि, संयोगवश अन्य बाहरी जोखिम ।

खुली पॉलिसी

यदि बीमाधारक लगातार बहुत बड़ी मात्रा में डिस्पैचेज प्राप्त कर रहे हैं अथवा अन्दर आने वाले सामान के डिस्पैच प्राप्त कर रहा

PREMIUM RATES : Depends upon the factors like nature of cargo, type of packing, Mode of transport, distance, type of cover required and claims experience etc., The rating will be determined by the Branch/ DO/ RO depending on the underwriting limits. The profitability of the portfolio of the client also plays a vital role in determining the rates.

COVER FOR EXPORT/IMPORT : Cover for exports/imports is subject to a set of Internationally used clauses known as Institute Cargo Clauses (ICC) Cover under ICC (A) is wider whereas cover under ICC (B) and (C) are restricted.

a) Institute Cargo Clauses (C)

Risk covered: Loss or damage to the subject matter by fire, explosion, sinking, stranding, or grounding of the vessel, overturning or derailment of the conveyance, collision of the craft or conveyance. Loss due to discharge of cargo at a port of distress. Loss by self jettisons general average loss.

b) Institute Cargo Clauses (B)

Risk covered: As in the case of 'C' above with the addition of loss by earthquake, volcanic eruption or lightening, loss of the cargo washed overboard at the vessel water damaged either by sea water or river water, Total loss of any package, lost overboard the vessel or dropped during loading or unloading operations.

c) Institute Cargo Clauses (A)

This is the widest format cover. This clause cover the risk in the case of 'B' above with rainwater damage, piracy, deliberated damage or destruction by wrongful act of any person theft, pilferage, non-delivery, contact with mud oils and acids, damage by other cargo, other extraneous perils all involving a fortuity.

OPEN POLICY

If the insured is having frequent large number of dispatches or incoming materials Dispatches, it becomes inconvenient to go for